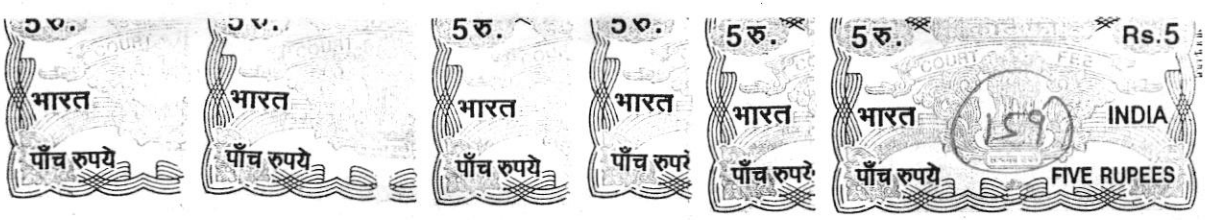

5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0कं0......../पुनर्विलोकन/17–18

01. **नरेन्द्र सिंह** आ. स्व. श्री इंदर सिंह चौहान
02. **राजेन्द्र सिंह** आ. स्व. श्री इंदर सिंह चौहान
03. **राकेश सिंह** आ. स्व. श्री इंदर सिंह चौहान

निवासी बाबई तहसील बाबई जिला होशंगाबाद

..........आवेदकगण

"विरूद्ध"

01. **मुकेश कुमार** आ. स्व. श्री इंदर सिंह चौहान
निवासी बाबई तहसील बाबई जिला होशंगाबाद
02. **श्रीमती सरिता मालवीय** पत्नी गणेश मालवीय
निवासी छतरपुर त्रिगडा पोस्ट पाथाखेडा तहसील घोडा डोंगरी मेनरोड बगडोना
03. **श्रीमती मधूवाला** पत्नी स्व. श्री नेतराम चौकसे
निवासी "नेतराम लक्ष्मण एण्ड कम्पनी"
चौकसे दालमील राधा वल्लभ वार्ड गाडरवाडा तहसील गाडरवला जिला नरसिंहपुर.
04. **श्रीमती ममता** पत्नी श्री गजेन्द्र मालवीय
निवासी ए–50, शाहपुरा भोपाल तहसील व जिला भोपाल.

...............अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–51 सहपठित धारा–32 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

महोदय,

सेवा में यह पुर्नविलोकन आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा **प्रकरण कं. 2018/पीबीआर/2015 मुकेश कुमार विरुद्ध नरेन्द्र सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018** से परिवेदित होकर अंदरम्याद प्रस्तुत किया जा रहा हैं ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुनर्वालोकन–3654 / 2018 / होशंगाबाद / भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–6–2018	आवेदकगण की ओर से श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 3–5–2018 का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित 32 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	